भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †845

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2022

ब्लॉक स्तर पर ईएमआरएस

†845. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार 25,000 से अधिक के अनुसूचित जनजाति समुदाय वाले सभी उप जिलों में 15 एकड़ भूमि पर नया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) बनाने की योजना पर आगे बढ़ना चाहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 2021-2022 के अंत तक कुल 232 स्वीकृत ईएमआरएस का निर्माण शुरू किया जाना बाकी था;

(ग) क्या यह सच है कि चिन्हित ईएमआरएसएस के लिए गांव या ब्लॉक के अंदर जमीन उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 तक (288 पुरानी योजना के तहत और 452 नई योजना के तहत) 740 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य है। 2019 में जारी नई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ईएमआरएस की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिसमें स्कूल भवन, वार्डन निवास सहित, बालिकाओं और बालकों के छात्रावास, रसोई और भोजन, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्वार्टर, खेल का मैदान आदि शामिल हैं। जबकि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ईएमआरएस के लिए 15 एकड़ की शर्त का पालन किया जाए, किसी भी स्थान पर भूमि की कमी की स्थिति में, मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकता में ढील दी जा रही है। भौगोलिक स्थिति (स्थलाकृति) और भू-भाग (इलाके) के आधार पर विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में, स्कूल परिसर, छात्रावास और प्रशासनिक ब्लॉक एक कॉम्पैक्ट इकाई के बजाय निकटता में विभिन्न स्तरों पर स्थित हो सकते हैं।

(ख): 740 ईएमआरएस विद्यालय में से आज की तारीख में 689 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं (पुरानी और नई योजनाओं के लिए संचयी), जिनमें से 244 विद्यालयों के पास अपना भवन है। 227 विद्यालयों में निर्माण कार्य प्रगति पर है और 218 ईएमआरएस स्थलों पर प्रति निर्माण गतिविधियां प्रगति के अधीन हैं।

(ग) तथा (घ): मंत्रालय ने 06.12.2022 तक नई योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले 452 विद्यालयों में से 401 ईएमआरएस स्वीकृत किए हैं, जिनमें से संबंधित राज्य सरकार द्वारा 368 भूमि (यों) के संबंध में भूमि उपयुक्तता रिपोर्ट प्रदान की गई है, जो सभी बाधाओं से मुक्त हैं। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी) की रिपोर्ट के अनुसार, 184 विद्यालय निर्माणाधीन हैं और 184 स्थलों (साइटों) में, निर्माण-पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं। 51 स्थान ऐसे हैं जहां राज्यों को उपयुक्त भूमि प्रदान कराना अभी बाकी है। मंत्रालय भूमि के प्रावधान में तेजी लाने के लिए ऐसे राज्यों के साथ लगातार फोलोअप (अनुवर्ती कार्रवाई) कर रहा है।

*****